

राजस्थान सरकार
निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर
जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया स्कीम,
सिविल लाईन्स फाटक के पास, जयपुर-16

क्रमांक.एफ.53() निग./डीएलबी/23/ 1091
आयुक्त/उपायुक्त/अधिकाधी अधिकारी,
समस्त नगर निगम/ नगर परिषद/ नगर पालिका
राजस्थान।

जयपुर, दिनांक . 11/4/2025 .

विषय:- सीज खोलने के आदेशों में जारी निर्देशों की पालना निर्धारित अवधि में
कर, मासिक पालना रिपोर्ट निदेशालय में भिजवाने बाबत।
संदर्भ:-विभागीय आदेश पत्रांक 221 दिनांक 14.02.2024, 2068-2372 दिनांक
26.12.2024, 252-557 दिनांक 03.02.2025 व 616-921 दिनांक
18.02.2025 के क्रम में।

उपरोक्त विषयक संदर्भित आदेश पत्रों की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर
लेख है कि विभागीय आदेश दिनांक 14.07.2022 के तहत निकायों द्वारा प्रेषित सीज खोलने
के प्रस्तावों के साथ प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र की पालना के संबंध में निदेशालय स्तर से
जारी आदेश में वर्णित शर्तों/निर्देशों की पालना 60 दिवस (दो माह) में कर पालना रिपोर्ट
निदेशालय द्वारा चाही जाने के बावजूद आज दिनांक तक पालना रिपोर्ट विभाग को नहीं
भिजवाई गई हैं, जबकि संदर्भित विभागीय आदेश दिनांक 14.02.2024, 26.12.2024,
03.02.2025 व 18.02.2025 द्वारा इस बाबत स्पष्ट निर्देश दिये जा चुके हैं।

अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि संलग्न तालिका में प्रत्येक प्रकरण की पालना
रिपोर्ट अविलम्ब निदेशालय को एक सप्ताह में अनिवार्य रूप से भेजे, अन्यथा सम्बन्धित
अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।


(इन्द्रजीत सिंह)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक.एफ.53() निग./डीएलबी/23/

दिनांक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. समस्त क्षेत्रीय उप निदेशक, स्थानीय निकाय, राजस्थान को संदर्भित आदेश दिनांक
14.02.2024, 26.12.2024, 03.02.2025 व 18.02.2025 के अनुसार वांछित मासिक
सूचना/रिपोर्ट विनिर्दिष्ट कालावधि में प्रेषित करने हेतु।
2. सुरक्षित पत्रावली।

-SD-
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव